अध्याय - 5

कार्यपालन सारांश

हमने इस अध्याय में प्रमुखता से जो दर्शाया हैं	इस अध्याय में हमने तहसीलदारों तथा कलेक्टरों के कार्यालयों प्रीमियम तथा भू–भाटक की प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, भू–राजस्व तथा उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना तथा व्यपवर्तन लगान एवं प्रीमियम के अवनिर्धारण आदि से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा नमूना जाँच के दौरान लिए गए प्रेक्षणों से चयनित ₹ 14.25 करोड़ के उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है, जहां हमने पाया कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा बार–बार इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में, भू–राजस्व से प्राप्त कर संग्रहण में, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिये बकाया राशि के स्थगन के कारण विगत वर्ष की तुलना में 22.66 प्रतिशत की कमी आई ।
पूर्ववर्ती वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से, 6,82,978 प्रकरणों में ₹ 2,087.83 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीयन न होना आदि को इंगित किया था । इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 1,234.42 करोड़ के 6,06,378 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 15,119 प्रकरणों में ₹ 162.59 करोड़ वसूल किये । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत 0.64 प्रतिशत से 35.11 प्रतिशत के मध्य रहा, जो बहुत कम था ।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने भू–राजस्व से सम्बंधित 66 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच की जिसमें 19,901 प्रकरणों में ₹ 293.20 करोड़ की राशि से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमिततओं का पता चला । विभाग ने वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा इंगित किये गये 19,323 प्रकरणों में ₹ 278.02 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया । वर्ष 2011–12 के दौरान 179 प्रकरणों में ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रीमियम, भू–भाटक, व्यपवर्तन लगान तथा उपकर के अवनिर्धारण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहां विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है ।

अध्याय–5
भू–राजस्व

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व विभाग का प्रमुख होता है । प्रधान राजस्व आयुक्त विभाग प्रमुख होता है जिसकी सहायता के लिए आयुक्त, बंदोबस्त एवं भू–अभिलेख होता है । संभागीय आयुक्त संभाग के अंतर्गत सम्मिलित जिलों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखते हैं । प्रत्येक जिले में विभाग की गतिविधियों पर कलेक्टर का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । जिले के उप–संभाग के प्रभार हेतु एक या अधिक सहायक कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर की पदस्थापना करने का दायित्व जिला कलेक्टर का होता है । किसी उप–संभाग के प्रभार में इस प्रकार पदस्थापित अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं । वे कलेक्टर की उन शक्तियों का उपयोग करते हैं जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित की जाएं । राजस्व अभिलेख एवं बंदोबस्त के संधारण हेतु कलेक्टर कार्यालय में अधीक्षक/सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख (एस.एल.आर./ए.एस.एल.आर.) की पदस्थापना की जाती है । तहसीलदारों/अपर तहसीलदारों को तहसीलों में राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है । राज्य में दस राजस्व संभाग हैं जिनमें प्रत्येक का प्रमुख आयुक्त होता है, 50 जिले, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख कलेक्टर होता है तथा 341 तहसीले है ।

भू–राजस्व प्राप्तियों का विनियमन निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाता है :

- मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.), 1959;
- मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम (एम.पी.पी.आर.ए.), 1993;
- मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1982;
- मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम (एम.पी.एल.ए.) 1987; तथा
- राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) ।

5.2 प्राप्तियो की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान भू–राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाइन ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नता अधिक (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियों से वास्तविक कर प्राप्तियों का प्रतिशत
2007–08	130.00	129.15	(-) 0.85	(-) 0.65	12,017.64	(+) 1.07
2008–09	127.45	338.84	(+) 211.39	(+) 165.86	13,613.50	(+) 2.49
2009–10	161.81	180.03	(+) 18.22	(+) 11.26	17,272.77	(+) 1.04
2010–11	182.46	360.81	(+) 178.35	(+) 97.75	21,419.38	(+) 1.68
2011–12	500.30	279.06	(-) 221.24	(-) 44.22	26,973.44	(+) 1.03

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)

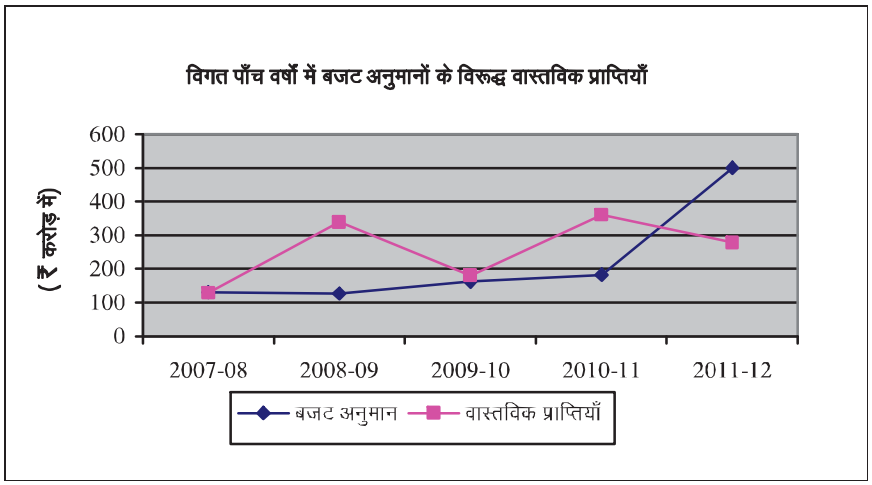

वर्ष 2011–12 में, भू–राजस्व से करों के संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 22.66 प्रतिशत की कमी आई ।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (–) 44.22 तथा 165.86 के मध्य रहा । विभाग ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों तथा विगत वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी वर्ष 2010–11 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राजस्व वसूली स्थगित करने के कारण हुई ।

5.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

5.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 6,82,978 प्रकरणों में ₹ 2,087.83 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम, भू–भाटक

तथा व्यपवर्तन लगान का अवनिर्धारण, नजूल[1] भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना, प्रक्रिया व्यय का अनारोपण, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र का पंजीयन न होना, आदि को इंगित किया था । इनमें से, विभाग/शासन ने 6,06,378 प्रकरणों में ₹ 1,234.42 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 15,119 प्रकरणों में ₹ 162.59 करोड़ वसूल किये । विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आपत्ति		स्वीकृत		वसूली		वसूली प्रतिशत स्वीकृत पर
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	
2006–07	120	1,02,263	203.65	1,02,167	197.87	7,978	14.50	7.33
2007–08	110	2,37,557	110.81	2,37,557	110.81	6,835	4.76	4.30
2008–09	121	33,807	274.22	33,807	274.22	183	1.76	0.64
2009–10	94	1,36,783	628.68	72,803	378.94	9	133.04	35.11
2010–11	45	1,72,568	870.47	1,60,044	272.58	114	8.53	3.13
कुल		**6,82,978**	**2,087.83**	**6,06,378**	**1,234.42**	**15,119**	**162.59**	

स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.64 प्रतिशत से 35.11 प्रतिशत के मध्य रहा ।

5.3.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमने ₹ 329.58 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित प्रीमियम तथा भू–भाटक का अवनिर्धारण, शासकीय लेखाओं में भू–राजस्व तथा उपकर[2] का प्रेषण न किये जाने, सेवा प्रभारों का अनारोपण, प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना, व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण आदि से संबंधित प्रकरणों को इंगित किया था । जबकि विभाग ने ₹ 247.28 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया, लेकिन मार्च 2012 तक केवल ₹ 5.42 करोड़ की राशि वसूली की गई जैसा कि आगामी तालिका में दर्शाया गया हैं:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकार की गई कंडिकाओं की संख्या	स्वीकार की गई कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वसूली की गई	31.03.2012 तक वसूल राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006–07	5	1.11	5	1.11	5	0.80
2007–08	5	4.75	4	2.92	4	2.92

1 शहरी क्षेत्रों में स्थित शासकीय भूमि ।

2 पंचायत उपकर जो भू–राजस्व का 50 प्रतिशत हैं ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008–09	7	5.22	6	4.01	4	0.42
2009–10	1	314.60	1	237.29	1	1.16
2010–11	6	3.90	2	1.95	1	0.12
कुल	**24**	**329.58**	**18**	**247.28**	**15**	**5.42**

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में अंतर्निहित राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिये ।

5.4 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

किसी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा उसकी आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है । विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है, अतः अधीनस्थ कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी ।

5.5 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान भू–राजस्व की 66 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 19,901 प्रकरणों में ₹ 293.20 करोड़ के राजस्व अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण	2	8.85
2.	राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों का पंजीयन न होना	289	85.74
3.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम का अवनिर्धारण	24	0.21
4.	नजूल भूमि के पट्टे का नवीनीकरण न होना	125	1.83
5.	व्यपवर्तन लगान/प्रीमियम तथा शास्ति की मांग सृजित न करना	170	1.44
6.	प्रक्रिया व्यय का अनारोपण/वसूली न होना	2,717	1.82
7.	अन्य प्रेक्षण	16,574	193.31
योग		**19,901**	**293.20**

वर्ष के दौरान, विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 19,323 प्रकरणों में ₹ 278.02 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2011–12 के दौरान 179 प्रकरणों में ₹ 3.61 करोड़ की राशि वसूल की गई ।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रमुखता से दर्शाते हुए ₹ 14.25 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है ।

5.6 प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण

राजस्व परिपत्र पुस्तक (आर.बी.सी.)-IV-I में किसी विकास प्राधिकरण को आवंटित नजूल भूमि या आवासीय उद्देश्य हेतु भू–खण्ड क्षेत्रफल के 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बाजार मूल्य पर प्रीमियम के आरोपण का प्रावधान हैं, जबकि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु आवंटन के प्रकरण में यह सम्पूर्ण भूमि पर आरोपणीय होगा। वाणिज्यिक तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु निर्धारित दरों पर भू–भाटक आरोपणीय है । राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी अप्रैल 2003 के परिपत्र के अनुसार नजूल भूमि का मूल्यांकन विकास व्यय घटाने के बाद कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा ।

कलेक्टर कार्यालय (नजूल), ग्वालियर में भूमि के आवंटन की प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (जनवरी 2012) कि ग्राम जडेरूआ खुर्द में स्थित 21320 वर्ग मीटर शासकीय भूमि वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु तथा 17420 वर्ग मीटर आवासीय उद्देश्य के लिए मई 2010 में ₹ 1.30 करोड़ के प्रीमियम तथा ₹ 9.76 लाख के भू–भाटक पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण को पट्टे पर दी गई । हमने देखा कि विभाग ने वाणिज्यिक तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु आवंटित भूमि के लिए लागू दरों के बजाय कृषि भूमि की दरों से भूमि का मूल्यांकन किया । प्रीमियम एवं भू–भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई :

(₹ में)

क्र. सं.	उद्देश्य	क्षेत्रफल (व.मी.) दर प्रति (व.मी.)	आरोपणीय प्रीमियम भू–भाटक	आरोपित प्रीमियम भू–भाटक	प्रीमियम भू–भाटक का कम आरोपण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक	21,320 3,068	6,54,09,760 49,05,732	1,30,16,500 9,76,238	7,29,62,796 49,57,971

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	आवासीय	17,420 1,968	2,05,69,536 10,28,477		
योग			**8,59,79,296** **59,34,209**	**1,30,16,500** **9,76,238**	**7,29,62,796** **49,57,971**
महायोग			**9,19,13,505**[3]	**1,39,92,738**	**7.79 करोड़**

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के बाद (जनवरी 2012), नजूल अधिकारी ने बताया कि अंतर की राशि की मांग सृजित करने के लिए प्रकरण कलेक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा ।

हमने अप्रैल तथा मई 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।

[3] विकास व्यय की गणना:
नगर निगम ग्वालियर में 10 कॉलोनियों के कालोनी विकास अनुमति प्रकरणों (वर्ष 2009 से 2011 के दौरान) के विवरणों के अनुसार, कुल भूमि का क्षेत्रफल 5.71 लाख वर्ग मीटर तथा कुल अनुमानित विकास व्यय = ₹ 13.20 करोड़ था । अतः विकास व्यय =₹ 13.20 करोड़/5.71 लाख वर्ग मीटर = ₹ 232 प्रति वर्ग मीटर (अगले उच्चतर रूपये तक पूर्णांकित) ।
वाणिज्यिक प्रीमियम तथा भू–भाटक की गणना:
प्रीमियमः 21,320 वर्ग मीटर, दर ₹ 3300 – ₹ 232 वर्ग मीटर = ₹ 6,54,09,760
भू–भाटकः ₹ 6,54,09,760 (प्रीमियम) का 7.5% = ₹ 49,05,732
आवासीय प्रीमियम तथा भू–भाटक की गणना:
प्रीमियमः 17,420 वर्ग मीटर, दर ₹ 2200 – ₹ 232 वर्ग मीटर * 60% =₹ 2,05,69,536
भू–भाटकः ₹ 2,05,69,536 (प्रीमियम) का 5% = ₹ 10,28,477

5.7 भू–राजस्व एवं उपकर का शासकीय खाते में प्रेषण न किया जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (भाग एक) के नियम 7 (i) सहपठित नवम्बर 2001 में जारी शासन की अधिसूचना के अनुसार, तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय को प्रेषित कर शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष 0029 में जमा किया जाना चाहिये । जिला पंचायत राज निधि नियमावली, 1998 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार, जिला पंचायत राज निधि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खाते में रखी जाती है । इस निधि में विकास कर की आगम राशि, अन्य कर तथा फीस आदि सम्मिलित होते हैं ।

हमने 15 तहसील कार्यालयों[4] के मांग एवं वसूली के विवरण पत्रक तथा चालानों की नमूना जांच के दौरान अवलोकित किया (मई तथा नवम्बर 2011 के मध्य) कि तहसील कार्यालयों द्वारा अक्टूबर 2006 तथा सितम्बर 2011 के मध्य संग्रहीत ₹ 2.43 करोड़ का भू–राजस्व एवं उपकर कोषालय में मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा करने के बजाय पंचायत राज निधि में जमा किया गया । इस प्रकार राजकोष ₹ 2.43 करोड़ के राजस्व से वंचित हो गया । पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये गये इसी प्रकार के प्रकरणों में पंचायत राज निधि से भू–राजस्व तथा उपकर की वसूली के सम्बंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

हमारे द्वारा इंगित इसे किये जाने के बाद, तहसीलदार आरोन (गुना), आलोट (रतलाम), बदनावर (धार), चंदेरी (अशोकनगर), गंधवानी (धार), गुलाना (शाजापुर), होशंगाबाद, जयसिंहनगर (शहडोल), कुरवई (विदिशा), मल्हारगढ़ (मंदसौर), नलखेड़ा (शाजापुर), राजपुर (बड़वानी) तथा उज्जैन ने बताया कि भू–राजस्व तथा उपकर मुख्य शीर्ष '0029' भू–राजस्व के अंतर्गत जमा किया जायेगा । तहसीलदार गोहरगंज (रायसेन) तथा जीरापुर (राजगढ़) ने बताया कि पंचायत राज निधि में जमा की गई राशि को मुख्य शीर्ष '0029' में जमा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा ।

हमने सितम्बर 2012 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[4] आरोन (गुना), आलोट (रतलाम), बदनावर (धार), चंदेरी (अशोकनगर), गंधवानी (धार), गोहरगंज (रायसेन), गुलाना (शाजापुर), होशंगाबाद, जयसिंहनगर (शहडोल), जीरापुर (राजगढ़), कुरवई (विदिशा), मल्हारगढ़ (मंदसौर), नलखेड़ा (शाजापुर), राजपुर (बड़वानी) तथा उज्जैन ।

5.8 कुर्क सम्पत्तियों का निवर्तन न किये जाने के कारण राजस्व की प्राप्ति न होना

म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन को देय भू–राजस्व की बकाया राशि तहसीलदार द्वारा बकायादारों की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क एवं उनका विक्रय कर वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त, कुर्क संपत्ति के शीघ्र निर्वतन हेतु कार्रवाई करने की दृष्टि से तहसीलदार द्वारा कुर्क संपत्ति पंजी की त्रैमासिक समीक्षा की जानी अपेक्षित है ।

तहसील इंदौर में कुर्क संपत्तियों की पंजी तथा संबंधित प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (अक्टूबर 2011) कि अक्टूबर 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य ₹ 1.36 करोड़ की राशि की वसूली के लिए 13 प्रकरणों में चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था । हम इस सम्बंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके कि तहसीलदार द्वारा कुर्क सम्पत्ति पंजी की त्रैमासिक समीक्षा की गई थी । इसके अलावा कुर्क संपत्तियों का निवर्तन कर बकाया राशियों को वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.36 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमने मार्च तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

5.9 प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित किये बिना शासकीय भूमि का आवंटन किये जाने के कारण राजस्व की हानि

राजस्व पुस्तक परिपत्र -IV-I की कंडिका 26 सहपठित अगस्त 1998 में जारी शासन के परिपत्र में प्रावधान है कि पंचायत राज संस्था को कार्यालय भवन के निर्माण के उद्देश्य हेतु नजूल भूमि का आवंटन भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से प्रीमियम तथा प्रीमियम के 5 प्रतिशत की दर से भू–भाटक के भुगतान पर किया जायेगा ।

कलेक्टर कार्यालय (नजूल) धार में भूमि आवंटन की प्रकरण नस्तियों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2011) कि ग्राम दाही में 0.420 हैक्टेयर शासकीय भूमि नगर पंचायत दाही को कार्यालय भवन के निर्माण के उद्देश्य हेतु कलेक्टर द्वारा आरोपणीय प्रीमियम ₹ 1.01 करोड़ तथा भू–भाटक ₹ 5.04 लाख प्रति वर्ष के विरूद्ध कोई प्रीमियम या भू–भाटक प्रभारित किये बिना आवंटित की गई थी (दिसम्बर 2010)। इस प्रकार शासन वर्ष 2011–12 में अर्थात नगर पंचायत को कब्जा सौंपने के लिए तहसीलदार के आदेश के माह (3/2011) से अगले माह में ₹ 1.01 करोड़ के प्रीमियम तथा ₹ 5.04 लाख के भू–भाटक से वंचित हो गया ।

हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, प्रभारी अधिकारी (नजूल) ने दिसम्बर 2011 में बताया कि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 26 में कार्यालय भवन के लिए आवंटित भूमि पर प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारित करने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं है । हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शासकीय परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 1998 के अनुसार, प्रीमियम तथा भू–भाटक प्रभारणीय था । इसके अतिरिक्त, राजस्व पुस्तक परिपत्र या शासन द्वारा प्रीमियम/ भू–भाटक के भुगतान से कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी ।

हमने प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (मई एवं जून 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

5.10 सेवा प्रभारों का अनारोपण

भूमि अधिग्रहण कार्य में संलग्न अधिकारियों तथा स्टाफ को प्रोत्साहन प्रदान करने और इस संबंध में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए शासन ने जुलाई 1991 में उन विभागों/संगठनों से जिनकी ओर से भूमि अधिग्रहण किया जाना था, अवार्ड राशि के 10 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार वसूल करने का निर्णय लिया । भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व, अवार्ड की अनुमानित राशि का 10 प्रतिशत संबंधित विभागों/संगठनों से जमा कराया जाना था । अंतिम अवार्ड के पश्चात, सेवा प्रभार की शेष राशि (अंतिम अवार्ड तथा अनुमानित अवार्ड के अंतर पर आंकलित) भी वसूल की जानी थी । इस प्रकार, वसूल की गई राशि शासकीय खाते में मुख्य शीर्ष '0029' (भू–राजस्व) के अंतर्गत प्रेषित की जानी थी ।

कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में भूमि अधिग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (नवम्बर 2011) कि दो प्रकरणों में यद्यपि भूमि अवार्ड 2010–11 में ही निर्णीत किया जा चुका था, लेकिन सेवा प्रभार की राशि ₹ 1.24 लाख लेखा शीर्ष '0029' भू–राजस्व, में प्रेषित नहीं की गई थी । इसके अलावा तीन प्रकरणों में, यद्यपि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही फरवरी तथा दिसम्बर 2010 के मध्य प्रारम्भ की जा चुकी थी, फिर भी ₹ 6.08 करोड़ के अवार्ड की अनुमानित राशि पर सेवा प्रभार की राशि ₹ 60.82 लाख वसूल नहीं की गई थी । इस प्रकार, सेवा प्रभारों का प्रेषण न किये जाने/अनारोपण/प्राप्ति न होने के कारण राजकोष ₹ 62.06 लाख के राजस्व से वंचित हो गया । विवरण नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	विभाग/उपक्रम का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रकरण संख्या/वर्ष	अवार्ड की राशि का अनुमानित मूल्य	वसूली योग्य सेवा प्रभार (10% की दर से)
1.	लोक निर्माण विभाग	मंगी घाट के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	6,53,159 (अवार्ड मूल्य)	65,315
2.	लोक निर्माण विभाग	तराना तिलावद मार्ग के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	5,87,229 (अवार्ड मूल्य)	58,723
3.	लोक निर्माण विभाग	जरासिया पंथ से नारायन मार्ग के लिए निर्माण कार्य	1–5/ए–82 2010–11	30,00,000 (अनुमानित मूल्य)	3,00,000
4.	जल संसाधन विभाग	शंकरपुर तालाब राजाहैडा तथा पनविहार के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	1,16,75,000 (अनुमानित मूल्य)	11,67,500
5.	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	बी.ओ.टी. सड़क के लिए निर्माण कार्य	1/ए–82 2009–10	4,61,48,418 (अनुमानित मूल्य)	46,14,842
योग				**6,20,63,806**	**62,06,380**

हमने अप्रैल तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013)।

5.11 प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

म.प्र. लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 (एम.पी.एल.ए.) एवं मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता (एम.पी.एल.आर.सी.) में प्रावधान है कि वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) की प्राप्ति के पश्चात राजस्व प्रकरण को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र पंजी में दर्ज करेगा तथा 15 दिन के भीतर मांग नोटिस जारी करेगा । मांग नोटिस में वसूली के दिनांक तक कार्यवाही के व्यय सहित मूल राशि तथा अनुबंध में उल्लिखित दर से देय राशि पर ब्याज सम्मिलित होता है । अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार, मूल राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय आरोपणीय है ।

10 तहसील कार्यालयों[5] की वसूली के विवरण पत्रकों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (मई 2011 तथा जनवरी 2012 के मध्य) कि 2002–03 से 2010–11 की अवधि के दौरान राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध वसूल की गई मूल राशि ₹ 25.79 करोड़ पर ₹ 77.37 लाख का प्रक्रिया व्यय वसूली योग्य था । तथापि विभाग ने मांग नोटिस जारी करते समय प्रक्रिया व्यय को सम्मिलित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप बकायादारों से उसकी वसूली नहीं की जा सकी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 77.37 लाख के प्रक्रिया व्यय की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमने फरवरी तथा मई 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।

[5] आरोन (गुना) 1.56/51.88 लाख, बड़ा सिवनी (बालाघाट) 4/133.31 लाख, ब्योहारी (शहडोल) 2.01/67.04 लाख, भगवानपुरा (खरगोन) 1.25/41.67 लाख, चंदेरी (अशोकनगर) 1.38/45.94 लाख, छिंदवाड़ा 3.48/115.90 लाख, हुजूर (भोपाल) 10.27/342.36 लाख, इंदौर 48.72/1623.97 लाख, कुरवई (विदिशा) 0.55/18.34 लाख, तथा शाहपुरा (जबलपुर) 4.15/138.32 लाख ।

5.12 व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 59 के अंतर्गत, जब किसी एक उद्देश्य के लिए निर्धारित भूमि किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यपवर्तित की जाती है तो ऐसी भूमि पर देय भू–राजस्व (प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान) ऐसे व्यपवर्तन के दिनांक से, उस उद्देश्य के अनुसार, जिसके लिए उसे व्यपवर्तित किया गया हैं, शासन द्वारा निर्धारित दरों से पुनरीक्षित एवं पुनः निर्धारित किया जायेगा ।

चार कलेक्टर कार्यालयों (व्यपवर्तन)[6] में व्यपवर्तित प्रकरणों की नमूना जांच के दौरान, हमने अवलोकित किया (मई तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि फरवरी 2007 तथा सितम्बर 2011 के मध्य निर्णीत 18 प्रकरणों में व्यपवर्तन लगान तथा प्रीमियम का अवनिर्धारण किया गया था । इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.12 लाख के प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान की कम प्राप्ति हुई । विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

क्र. सं.	इकाई अवधि	प्रकरणों की संख्या	अंतर्निहित क्षेत्रफल	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	प्रीमियम एवं व्यपवर्तन लगान का कम निर्धारण (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) धार 10/2010 से 9/2011	3	5.406 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (2.4589 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	4,73,530
		5	11.651 हेक्टेयर	विभाग द्वारा चार प्रकरणों में प्रीमियम की गलत दरें लगाई गई तथा एक प्रकरण में वाणिज्यिक व्यपवर्तन दर के बजाय आवासीय व्यपवर्तन दर लगाई गई ।	2,50,684
2.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) रतलाम 10/2010 से 9/2011	1	1.649 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (0.617 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	71,764
		4	7.332 हेक्टेयर	विभाग द्वारा चार प्रकरणों में व्यपवर्तन की गलत दरें लागू की गई तथा उन चार प्रकरणों में से एक में प्रीमियम की गलत दर लागू की गई ।	1,12,615
3.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) उज्जैन 10/2010 से 9/2011	1	3.135 हेक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (2.769 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	6,48,246

[6] धार, इन्दौर, रतलाम तथा उज्जैन ।

1	2	3	4	5	6
4.	कलेक्टर कार्यालय (व्यपवर्तन) इंदौर 10/2010 से 9/2011	4	21.198 हैक्टेयर	निर्धारण शहरी एवं ग्रामीण नियोजन विभाग (टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित क्षेत्रफल के अनुसार नहीं किया गया । विभाग ने कम क्षेत्रफल (3.419 हैक्टेयर) पर प्रीमियम तथा व्यपवर्तन लगान का निर्धारण किया ।	5,54,798
योग					**21,11,637**

हमने फरवरी तथा जून 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (मार्च 2013) ।